फर्द अहकाम

जगजीत सिंह बनाम सर्वदमन सिंह

नाम न्यायालय Acm-II

केस संख्या TI No. -110/08

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी पेशी दिनांक 9/9/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	9/9/2019	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी व टी.आई. आदेश पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश 11/9/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	11/9/19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वास्ते आदेश दिनांक 18/9/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	18/09/19	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी मूलवाद में खारिज किया जा चुका है मूलवाद के अनुसरण में प्रार्थना पत्र टीआई में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र टीआई पर पुनः बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का विवेचन किया। वकील सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

जगपति सिंह बनाम सर्वदमन सिंह वगै.

नाम न्यायालय ACM- II

केस संख्या TiNo.- 110/08

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित कथनो का विवेचन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक आराजीयात है। पैतृक आराजीयात होने से प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में घोषणा करवाने का अधिकारी है लेकिन मूलवाद का निस्तारण तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तब तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 279, 280, 281, 282, 283, 288, 289, 292, 402 से 437, 452 लगा0 465, 465/642, 466 लगा0 471, 471/643, 472 लगा0 478, 480/644, 501, 510, 515 लगा0 517 तक किता 78 कुल रकबा 47.9600 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवम् राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.28 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: